F.No. II/21(8)/2022/Estt /2131

भारत सरकार / Government of India

गृह मंत्रालय/ Ministry of Home Affairs

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो / Narcotics Control Bureau

द्वितीय तल/अगस्त क्रांति भवन ,2nd Floor, August Kranti Bhawan

भीकाजी कामा प्लेस ,नई दिल्ली /Bhikaji Cama Place, New Delhi

दिनाँक/Date 31/ 10/ 2022

//कार्यालय आदेश //

गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है और तदनुसार विभिन्न रैंकों में 419 पद सृजित किए गए हैं। व्यय विभाग ने गोरखपुर, रायपुर, न्यू जलपाईगुड़ी, ईटानगर और अगरतला में 05 नए प्रस्तावित क्षेत्रों तथा चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी और अमृतसर में चार नए आंचलिक कार्यालयों के कामकाज के संचालन के बाद अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने के लिए भी सहमति व्यक्त की है। विस्तार के पहले चरण के दौरान, एनसीबी को प्रस्तावित 682 पदों के मुकाबले 419 पद प्राप्त हुए हैं।

2. इसके अलावा, एनसीबी ने यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि चार मौजूदा उप क्षेत्रों को अलग-अलग स्थानों पर स्थानांतरित किया जाना है और जोनों के रूप में अपग्रेड किया जाना है। ये मंदसौर सब जोन से भोपाल जोन, अजमेर सब जोन से जयपुर जोन, मदुरै सब जोन से विशाखापत्तनम जोन और मंडी सब जोन से श्री नगर जोन हैं।

3. संवर्ग पुनर्गठन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से आंचलिक कार्यालयों के मौजूदा अधिकार क्षेत्र के तहत नए आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण के लिए, उप-क्षेत्रों से क्षेत्रीय इकाई के उन्नयन और उन्नत क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए, संबंधित उप महानिदेशक को उप महानिदेशक (क्षे.) को आवंटित मौजूदा कार्य के अलावा निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं:-

(क) नए क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना और विकास:

- एक उपयुक्त स्थान/इलाके का चयन करने की आवश्यकता है
- आकलन किए जाने वाले क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य
- राज्य सरकार के कार्यालयों और अन्य डीएलईए के साथ निकटता ली जाए

(ख) कार्यालयों के कामकाज के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता:

- भूमि/भवन और फर्नीचर का आकलन
- कार्यालय के आरंभिक संचालन के लिए किराए के आधार पर आवश्यक स्थान का आकलन
- आवश्यक वाहनों का मूल्यांकन
- इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और अवरोधन और इसी तरह के अन्य उपकरणों का आकलन

• आवश्यक कार्यालय सहायक उपकरण का मूल्यांकन

(ग) जनशक्ति प्रबंधन

एनसीबी मुख्यालय एसएससी के साथ मिशन मोड परियोजना के तहत प्रसंस्करण जनशक्ति (सीधी भर्ती कोटा) पर काम कर रहा है और नए कार्यालयों के साथ-साथ मौजूदा कार्यालयों के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों में काम कर रहे सहयोगी संगठनों से प्रतिनियुक्ति कोटा के तहत एक महत्वपूर्ण संख्या में जनशक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। उप महानिदेशक (क्षेत्र) को निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है:

• राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी की प्रवृत्ति को देखते हुए जनशक्ति का आकलन

• प्रतिनियुक्ति पर सहायक एजेंसियों से जनशक्ति प्राप्त करने के प्रयास

• जनशक्ति की तैनाती और वितरण

(घ) राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय

नव निर्मित कार्यालयों की स्थापना के लिए, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है और नए कार्यालयों के लिए पर्याप्त स्थान और जनशक्ति रखने के लिए डीडीजी (आर) को उनके साथ बार-बार मिलने की आवश्यकता होती है। आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए राज्यों को नियमित रूप से सहमति करने की आवश्यकता है।

(ङ) अन्य डीएलईए के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ समन्वय

राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय के अलावा, डीडीजी (आर) को अन्य दवा कानून एजेंसियों जैसे सीमा शुल्क/ डीआरआई / सीजीएसटी और अन्य केंद्रीय दवा कानून एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे का भुगतान करने की भी आवश्यकता हो सकती है। उनके पास पर्याप्त जनशक्ति और स्थान भी है और वे हमारी आवश्यकताओं के लिए संसाधन के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

(च) एनसीओआरडी की बैठकों में लिए गए निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन-

NCORD की बैठकों के दौरान कई निर्णय लिए गए और माननीय गृह मंत्री द्वारा नियमित निर्देश दिए गए। साथ ही इन NCORD बैठकों में कई प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है जिन्हें तेजी से लागू किया जाना है। उप महानिदेशक (क्षे.) को राज्य सरकार और अन्य डीएलईए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निकट समन्वय में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

4. आंचलिक कार्यालयों/क्षेत्रीय इकाइयों के निर्माण के लिए बढ़ी हुई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कैडर पुनर्गठन कार्य के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा डीडीजी के बीच क्षेत्राधिकार की जिम्मेदारियों को निम्नानुसार पुनर्वितरित करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.सं.	संबन्धित उपमहानिदेशक	प्रस्तावित रिजन	राज्य/क्षेत्र (नए क्षेत्रों सहित) निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं:
1.	श्रीमती मोनिका ए. बत्रा	पूर्वी क्षेत्र,	बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा,

		उत्तर पूर्वी क्षेत्र	असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान & निकोबार
2.	श्री ज्ञानेश्वर सिंह	उत्तरी क्षेत्र, उत्तर - पश्चिम क्षेत्र, पश्चमी क्षेत्र	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राजधानी क्षेत्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राज्यस्थान दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली
3.	श्री सचिन जैन	दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र	तमिलनाडू, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा

5. यह महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से प्रेषित है एवं 01.11.2022 से प्रभावी होगा।

सचिन जैन 31/10/2022.

(सचिन जैन)

उपमहानिदेशक (मुख्या.)

वितरण:-

1. समस्त उप-महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

No. II/21(8)/2022/Estt/2131

भारत सरकार / Government of India

गृह मंत्रालय/ Ministry of Home Affairs

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो / Narcotics Control Bureau

द्वितीय तल/भवन क्रांति अगस्त ,2nd Floor, August Kranti Bhawan

भीकाजी कामा प्लेस ,नई दिल्ली /Bhikaji Cama Place, New Delhi

दिनाँक/Date 31 / 10 / 2022

//Office Order //

Ministry of Home Affairs has approved the restructuring of Narcotics Control Bureau and accordingly 419 posts have been created in different ranks. Department of Expenditure has also agreed for sanctioning additional posts after functioning of 05 newly proposed Zones at Gorakhpur, Raipur, New Jalpaiguri, Itanagar and Agartala and four new Regional Offices at Chennai, Ahmedabad, Guwahati and Amritsar. During the first phase of expansion, NCB has received 419 posts against propsed 682 posts.

2. Further, NCB also been proposed that four existing sub zones are to be relocated to different places and upgraded as zones. These are Mandsaur sub zone to Bhopal Zone, Ajmer sub zone to Jaipur Zone, Madurai sub zone to Vishakhapatnam Zone and Mandi Zone to to Sri Nagar Zone.

3. For effective implementation of cadre restructuring especially creation of new Regional or Zonal offices under the existing jurisdiction of Regional Offices, upgradation of Sub Zones into Zones and relocation of upgraded Zones, concerned DDsG are entrusted with following responsibilities in addition to the existing work allocated to DDG(Regions):-

(a) **Establishment & Development of new Zonal Offices**:

- A suitable place/locality is required to be chosen
- Security scenario of the area to be assessed
- Vicinity with offices of state government and other DLEAs be taken

(b) **Requirement of Infrastructure for functioning of offices:**

- Assessment of Land/Building and Furniture
- Assessment of required space on hiring basis for initial running of office
- Assessment of vehicles required
- Assessment of Electronic Surveillance and interdiction & other similar equipment
- Assessment of Office Accessories required

(c) **Manpower management**

NCB Hqrs. is working on processing manpower (DR Quota) under mission-mode project with SSC and a significant number of manpower under deputation quota is required to be obtained from sister organizations working in the respective states to ensure functioning of new offices as well as existing offices. The DDG (Regions) are required to take action on following points:

- Assessment of manpower considering drug trafficking trend in the state
- Efforts for obtaining manpower from sister agencies on deputation

- Deployment and distribution of manpower

(d) **Coordination with senior officials from State Government**

For establishment of newly created offices, coordination with senior officers in state government is required and DDG (R) are required to meet frequently with them to have enough space and manpower for new offices. States need to be persuaded regularly to get suitable land for opening zonal as well as regional offices.

(e) **Coordination with senior representatives of other DLEAs**

In addition to coordination with state agencies, DDG (R) may also require to pay visit to senior officers of other drug law agencies such as Customs/DRI/CGST and other central drug law agencies. They are also having sufficient manpower and space and they may also act as resource for our requirements.

(f) **Effective implementation of decision taken in NCORD meetings-**

During NCORD meetings, many decisions were taken and regular directions are given by the Hon'ble HM. Simultaneously many relevant issues are being discussed in these NCORD meetings which are to be implemented expeditiously. DDG (R) are required to play active role in close coordination with senior functionaries of State Government and other DLEAs.

4. In order to discharge the increased responsibilities, for creation of new Regions/Zones & to ensure effective and expeditious implementation of cadre re-structuring work as mentioned above, it has been decided to redistribute the responsibilities of jurisdiction among the existing DDsG as under:

Sl No.	Assigned to DDG(Sh/Smt)	Proposed Regions	State/Zones (including New Zones) falling in the State /UTs in following jurisdiction
1.	Smt Monika A Batra	Eastern Region & North Eastern Region	Bihar, Jharkhand, West Bengal, Sikkim, Odisha, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh & Andaman & Nicobar.
2.	Sh Gyaneshwar Singh	Northern Region, North Western Region & Western Region	Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, NCT of Delhi, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Gujarat, Chandigarh, Ladakh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Daman & Diu, Dadar & Nagar Haveli
3.	Sh Sachin Jain	South Western Region & Southern Region	Tamil Nadu, Puducherry, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Lakshadweep, Maharashtra, Chhattisgarh, Karnataka & Goa

5. This has approval of DG, NCB and will come into effect from 01.11.2022.

31/10/2022

(Sachin Jain)
Deputy Director General (HQ)

Distribution:- 1. All DDsG, NCB